

347

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:-एफ. 3(212)नवि/3/2011

दिनांक:- 13 SEP 2011

आदेश

राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम, 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नांकित प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करते हुए भवन निर्माण अवधि बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान करती है :-

1. राजस्थान नगर सुधार (भूमि निष्पादन नियम) नियम, 1974 के नियम, 14-ए के अन्तर्गत नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों पर निर्धारित 10 वर्ष की अवधि में भी भवन निर्माण नहीं करने के कारण निरस्त भूखण्डों की भवन निर्माण अवधि को दिनांक 31.3.2012 तक बढ़ाकर निर्धारित राशि वसूल कर प्रकरण नियमित किया जाने।

ऐसे समस्त प्रकरणों का निस्तारण प्रस्तावित "प्रशासन शहरों की ओर अभियान" के दौरान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह सन्धु)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
8. आयुक्त, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर को समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिये।
9. सभी संभागीय आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर।
11. शासन उप सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)
13. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
14. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
15. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।

13/9/2011
शासन उप सचिव-तृतीय

(94)